

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-102/2020 (2020/00163) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1-नारायण पिता शंकर कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-रोशन पिता शंकर कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-प्रेमी पुत्री शंकर कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-सायरी बेवा शंकर कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

- 1-नारायण पिता उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-भंवरलाल पिता उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-किशनलाल पिता उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-लक्ष्मणलाल पिता उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-चान्दी पत्नि उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-किशन पिता गोरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-भैरू पिता गोरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-भुरा पिता गोरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-सोसर बेवा गोरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-लेहरू पिता हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-नारू पिता हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12-राजु पिता बालु ना.बा. जरिये माता देउ पत्नि बालु गाडरी नि. चारोट तहसील रायपुर
- 13-आनन्द पिता बालु ना.बा. जरिये माता देउ पत्नि बालु गाडरी नि. चारोट तहसील रायपुर
- 14-दुर्गा पुत्री बालु ना.बा. जरिये माता देउ पत्नि बालु गाडरी नि. चारोट तहसील रायपुर
- 15-मीना पुत्री बालु ना.बा. जरिये माता देउ पत्नि बालु गाडरी नि. चारोट तहसील रायपुर
- 16-देउ पत्नि बालु गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17-हगामी पुत्री हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 18-प्यारी पुत्री हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 19-शान्ति पुत्री हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 20-झमकु पत्नि हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 21-गोकल पिता रामलाल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 22-बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील रायपुर
- 23-आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा कोशीथल जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील सहाड़ा
- 24-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद -

निर्णय

प्रार्थी अधिवक्ता  
दिनांक-02.02.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर की सीमा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार व उसके



कब्जे कास्त की आराजी संख्या 247 है 0 रकबा 0.40 है। भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 112 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी एवं नवीन नक्सा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 247 में आवागमन पैदल, संज, बैल, टेक्टर आदि से विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 21 की सामलाती आराजी संख्या 248 रकबा 0.34 है। भूमि की पूर्वी पाली पर होते हुये अपनी आराजियात में आवागमन वर्षों से करते चले आ रहे हैं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 21 भी वर्षों से प्रार्थीगण को आवागमन करने में कोई बाधा या व्यवधान कारित नहीं करते रहे उक्त भूमि ग्राम चारोट आबादी के नजदीक होकर आबादी के मुख्य रास्ते से लगती हुई है तथा चारोट की पक्की सडक से जुडी हुई है प्रार्थीगण की आराजी संख्या 247 पूर्वी व दक्षिणी और अन्य खातेदारान की खातेदारी हैं विपक्षीगण 1 लगायत 21 आराजी संख्या 246 के सह खातेदार है जिन्होंने इस वर्ष प्रार्थीगण के रास्ते को बन्द कर दिया है। प्रार्थीगण सदैव से अपनी आराजियात में आवागमन विपक्षीगण की आराजियात में करते चले आ रहे थे। लेकिन विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 21 ने अपनी आराजी संख्या 245 में बने हुये रास्ते को बन्द कर अवरुद्ध कर दिया है मौके पर रास्तानुमा जगह छुटी हुई है लेकिन राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को आवागमन करने से जबरन रोक दिया है प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता यही है। इस रास्ते व आलावा प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। न ही राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 246 रकबा 0.34 है 0 भूमि की पूर्वी पाली पर 15 फीट चौड़ाई के रूप में रास्ता नियमानुसार डीएलसी राशि की दुगुनी राशि जमा करा उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश एवं रास्ते की समायोजित भूमि की डीएलसी राशि विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 21 को नियमानुसार दिलाया जानें का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 3 व 6 लगायत 19 व 21 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एवं विपक्षी संख्या 5 व 20 की मृत्यु हो जाने से अधिवक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाही गई एवं विपक्षी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस किया गया तथा विपक्षी संख्या 22, 23, 24 फॉर्मल पक्षकार है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम चारोट आराजी संख्या 247 रकबा 0.40 है 0 पर आवागमन रेकार्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। आराजी संख्या 246 रकबा 0.34 है 0 की पूर्वी मेड़ के सहारे-सहारे राजस्व नक्शे में लाल स्याही से अंकन अनुसार मौके पर रास्ता बना हुआ है। आराजी संख्या 246 खातेदारी भूमि है। खातेदारी भूमि आराजी संख्या 246 की पूर्वी मेड़ की ओर स्थित उक्त रास्ते को वर्तमान में छड़िया डालकर आराजी संख्या 244, 246, 247 की मिलान मेड़ पर अवरुद्ध कर रखा है। मौके पर आराजी संख्या 246 की पूर्वी मेड़ पर स्थित रास्ते के अलावा आराजी संख्या 247 रकबा 0.40 है 0 में कही ओर से आवागमन नहीं हो सकता है। आराजी संख्या 246 विपक्षीगणों के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में आराजी संख्या 246 की पूर्वी मेड़ पर जो रास्ता है प्रार्थीगण उसी रास्ते से आवागमन चाहते हैं को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। विपक्षीगणों ने अपनी आराजी संख्या 246 रकबा 0.34 है 0 में से 0.01 है 0 भूमि रास्ते के बदले प्रार्थीगण खातेदारान की भूमि आराजी संख्या 247 रकबा 0.40 है 0



मे से 0.01 है० भूमि आराजी संख्या 244 के सहारे-सहारे लेने में सहमति व्यक्त की आराजी संख्या 244 विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि है विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थीगणों के आराजी संख्या 247 में जमीन के बदले जमीन चाही गई 0.01 है० भूमि को संलग्न नक्शे में हरी स्याही से दर्शाया गया है।

**प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई -**

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और प्रार्थी वर्षों से प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन कर रहा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। विपक्षी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर नोट प्रेस किया गया।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो न्यूनतम दुरी का होकर आबादी से जा रहा है तथा विपक्षी द्वारा भी रास्ते की जमीन के बदले जमीन देने पर अपनी खातेदारी आराजी संख्या 246 की पूर्वी मेड़ पर प्रस्तावित रास्ते देने में कोई आपत्ति नहीं की गई है। विपक्षीगण को प्रस्तावित रास्ते की भूमि के बदले भूमि आराजी संख्या 244 की मेड़ के सहारे सहारे दी जाना तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तावित की गई है जिससे प्रार्थी सहमत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

### आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चारोट तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 247 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 246 की पूर्वी मेड़ के सहारे रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि रास्ते हेतु बिलानाम सरकार दर्ज की जावे और इस भूमि के बदले प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 247 रकबा 0.40 है० मे से 0.01 है० भूमि विपक्षी खातेदार को आराजी संख्या 244 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे भूमि दी जावे उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी से कमी की जाकर विपक्षीगण खातेदार के नाम दर्ज की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
2.2.2021  
(सुन्दर लाल बम्बोडा) अधिकारी  
सहायक क्लर्क (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-102/2020 (2020/00163) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1-नारायण पिता शंकर कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-रोशन पिता शंकर कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-प्रेमी पुत्री शंकर कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-सायरी बेवा शंकर कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

- 1-नारायण पिता उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-भंवरलाल पिता उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-किशनलाल पिता उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-लक्ष्मणलाल पिता उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-चान्दी पत्नि उमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-किशन पिता गोरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-भैरू पिता गोरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-भुरा पिता गोरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-सोसर बेवा गोरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-लेहरू पिता हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-नारू पिता हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12-राजु पिता बालु ना.बा. जरिये माता देउ पत्नि बालु गाडरी नि. चारोट तहसील रायपुर
- 13-आनन्द पिता बालु ना.बा. जरिये माता देउ पत्नि बालु गाडरी नि. चारोट तहसील रायपुर
- 14-दुर्गा पुत्री बालु ना.बा. जरिये माता देउ पत्नि बालु गाडरी नि. चारोट तहसील रायपुर
- 15-मीना पुत्री बालु ना.बा. जरिये माता देउ पत्नि बालु गाडरी नि. चारोट तहसील रायपुर
- 16-देउ पत्नि बालु गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17-हगामी पुत्री हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 18-प्यारी पुत्री हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 19-शान्ति पुत्री हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 20-झमकु पत्नि हीरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 21-गोकल पिता रामलाल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 22-बड़ौदा राजस्थान कृषि ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील रायपुर
- 23-आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा कोशीथल जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील सहाड़ा
- 24-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चारोट तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 247 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 246 की पूर्वी मेड़ के सहारे रकबा 0.01 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु बिलानाम सरकार दर्ज की जावे और इस भूमि के बदले प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 247 रकबा 0.40 है0 मे से 0.01 है0 भूमि विपक्षी खातेदार को आराजी संख्या 244 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे भूमि दी जावे उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी से कमी की जाकर विपक्षीगण खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



  
2.2.2021  
(सुन्दर लाल बम्बोडा)  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा